न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 55/2019

1 तिलोकाराम पुत्र सुरजाराम उम्र 61 वर्ष जाति बलाई निवासी ग्राम हरिपुरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 रूघाराम पुत्र भूणाराम।
2 मोहनलाल पुत्र भूणाराम।
3 हीरालाल पुत्र भूणाराम।
4 रेखाराम पुत्र भूणाराम।
5 मनोज पुत्र हरदेवाराम।
6 गोमती पत्नी हरदेवाराम।
7 सोहनी पत्नी रूघारामा।
8 राकेश पुत्र मोहनलाल।
9 भूणाराम पुत्र गणेशराम समस्त जाति बलाई निवासीगण हरिपुरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
10 सहायक अभियन्ता अजमेर विधुत वितरण निगम लिमिटेड लोसल तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
11 तहसीलदार तहसील कार्यालय दांतारामगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्व निर्णय न्यायालय सहायक कलेक्टर फास्ट ट्रेक दांतारामगढ़ जिला सीकर पीठासीन अधिकारी अशोक कुमार आर.ए.एस दावा संख्या 519/2013 बउनवानी त्रिलोकाराम बनाम रूघाराम आदि निर्णय दिनांक 05.08.2019 अंतिम निर्णय के खिलाफ

उपस्थिति :

1. श्री सुशीला कुमावत, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री भागीरथमल जाखड़, अधिवक्ता रेस्पोडेंट
3. श्री नरेन्द्र कुमार फगेडिया, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

--निर्णय--

दिनांकः-- 22.02.2021

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) दांतारामगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 519/2013 में पारित निर्णय दिनांक 05.08.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट ने विचारण न्यायालय में विवादित भूमि खसरा नम्बर 525,524 वाके ग्राम हरिपुरा पटवार हल्का लोसल तहसील दांतारामगढ़ के सन्दर्भ में स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज किया है इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.06.2019 के प्रकाश में योग्य

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अधिनस्थ न्यायालय को अपीलांट/वादी का दावा खारिज करने में सख्त कानूनी भूल की है। निर्णय व डिक्री दिनांकित 03.06.2019 न्यायालय सहायक कलेक्टर फास्ट ट्रेक दांतारामगढ़ के विरूद्व अपीलांट ने माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी महोदय सीकर के यहां चुनौती दे रखी है। जिसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 22.08.2019 नियत है। इस कारण निर्णय दिनांक 03.04.2019 के आधार पर योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित चुनौतीग्रस्त आदेश निरस्त होने योग्य है। योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी/रेस्पोडेंट का जवाब लेकर वादपत्र व जवाब दावा के आधार पर विवाद्यक कायम कर उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर दिया जाकर निर्णय पारित करना चाहिए था। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में प्रकरण संख्या 33/2018 को आधार मानकर निर्णय पारित किया है। वादी ऐसे किसी निर्णय से प्रतिबंधित भी नहीं है अगर अधिनस्थ न्यायालय उस निर्णय को सारवान मानता था तो उसे प्रकरण में रेसज्यूडिकेटा की तनकी बनाकर प्रकरण के पक्षकारान को साक्ष्य सुनवाई का युक्ति युक्त अवसर देकर गुणावगुण पर निर्णय पारित करना चाहिए था। विद्वान अधिवक्ता ने अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि सहकाश्तकारी की थी इस भूमि के विभाजन हेतु अपीलांट की और से विचारण न्यायालय ने विभाजन का वाद संख्या 33/2018 बउनवानी त्रिलोका बनाम भूणा प्रस्तुत किया गया था। जो दिनांक 03.06.2019 को डिक्री किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का स्थाई निषेधाज्ञा का वाद खारिज करने में विचारण न्यायालय ने कोई विधिक त्रुटि नही की है। अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि सहकाश्तकारी की थी इस भूमि के विभाजन हेतु अपीलांट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

की और से विचारण न्यायालय ने विभाजन का वाद संख्या 33/2018 बउनवानी त्रिलोका बनाम भूणा प्रस्तुत किया गया था। जो दिनांक 03.06.2019 को डिक्री किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का स्थाई निषेधाज्ञा का वाद खारिज करने में विचारण न्यायालय ने कोई विधिक त्रुटि नही की है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 22.02.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर